खनन–नीति

देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांकः एफ 7(16)देव/92/4 जयपुर, दिनांक 18.4.2000

आज्ञा

विषयः– देवस्थान की भूमि पर खनन कार्य के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में ।

देवस्थान विभाग द्वारा देवस्थान विभाग की भूमि में खनन कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र पूर्व में जारी की गई नीतियां/निर्देश दिनांक 6.11.92, 5.1.94, 11.7.94 एवं 10.9.97 के अतिक्रमण में निम्न नीति निर्धारण की जाती हैं :–

देवस्थान विभाग जिस किसी व्यक्ति को सतही अधिकार देगा, खान विभाग केवल उनको ही खनन पट्टा जारी करेगा । इस हेतु खान विभाग खनन पट्टा जारी करने से पूर्व देवस्थान विभाग से लिया गया अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य करार देते हुए आदेश प्रसारित करेगा । नवीनीकरण के संबंध में भी इसी प्रकार का अनापत्ति प्रमाण–पत्र लेना आव यक होगा ।

भविष्य में खनन पट्टों को जारी करना और उनका नवीनीकरण करने के लिए नीति का मुख्य स्वरूप निम्न होगा :–

1. खनन पट्टों हेतु आमतौर पर खनन विभाग के नियमों के अनुसार प्लाट काटे जावेगें ।
2. जिन प्लाटों पर पूर्व में सतही अधिकार नहीं दिये गये हैं अथवा जिन पर खनन कार्य नहीं हो रहा है उन मामलों में निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी ।

(अ) ऐसे प्लाटों को मौके पर निशानदेही किया जायेगा तथा इनके आवंटन के लिए आम सूचना के जरिये आवेदन मंगवाये जावेगें और जो आवंटन पत्र प्राप्त होगें उनमें निम्न वरियता से आवंटन किया जायेगाः–

(क) राज्य स्तरीय निगमों व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को ।

(ग) किसी भूखण्ड के लिये यदि एक ही आवेदन पत्र प्राप्त हो तो आवेदनकर्ता को ।

(घ) अनुसूचित जाति / जनजाति के व्यक्तियों को यदि वे एक मात्र आवेदनकर्ता नहीं हो ।

(च) यदि किसी भूखण्ड के लिए एकाधिक आवेदनकर्ता है जिनका चयन उपरोक्त वरियताओं से नहीं किया जा सकता हैं,सभी आवेदनकर्ताओं से सील बंद लिफाफे में सालाना किराया देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा जायेगा । सबसे अधिक बोली देने वाले को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा ।

(ब) सतही अधिकार देने के लिये निम्न किराया भी एक मुश्त भुगतान करना प्रस्तावित हैं :–

क्रमांक	खनिज का प्रकार		(अदेय)एकमुश्त राशि		राशि रूपयों में वार्षिक राशि
1.	बहूमूल्य श्रैणी	–	1,00,000	–	50,000
2.	मध्यम श्रैणी	–	50,000	–	25,000
3.	अल्प मूल्य श्रैणी	–	10,000	–	5,000

खनिज का श्रैणी का निर्धारण समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा । फिलहाल विभिन्न प्रकार के खनिज का श्रैणी निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :–

(अ) बहुमूल्यः – हरा मार्बल,जस्ता,शीशा, रॉक फास्फेट आदि ,

(ब) मध्यमः – अन्य मार्बल, गेनाईट, अन्य डाईमेशन स्ओन्स,

(स) कम मूल्य : – सैण्डोस्टोन, गिट्‌टी, बजरी इत्यादि,

यदि किसी भी खनिज की श्रैणी/प्रकार के बारें में संशय हो तो अतिंम निर्णय राज्य सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा किया जायेगा । ये कीमतें प्रति हेक्टर होंगी । नीलामी से दिये जाने वाले सतही अधिकार के मामलों में एक मुश्त राशि उपरोक्तानुसार जमा करानी होगी । वार्षिक किराया निविदा के अनुसार होगा बशर्ते उपरोक्त राशि से कम न हो ।

3. जिन मामलों में पूर्व में खनन हेतु सतही अधिकार दे दिया गया हें अथवा जिनका पूर्व में खनन कार्य चालू रहा है उन पर निम्न नीति अपनाई जानी हैं :–

   जिन मामलों में पूर्व में सतही अधिकार नियमित रूप से दिये गये हैं एवं अधिकार प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा ही खनन कार्य किया जा रहा है, एक मु त रा‍ि ा देय नहीं होगी । यदि सालाना किराया अनुच्छेद–2–(ब) के अनुसार से कम है तो बढा हुआ किराया 31.3.2000 से वसूल किया जायेगा । यदि सालाना किराया उपरोक्त किराये से अधिक है तो 31.3.2000 तक का पूर्व पूर्ण किराया जमा किया जावेगा एवं तत्प चात्‌ नई किराया पद्वति से किराया लिया जायेगा ।

4. यदि पूर्व में विधिवत्‌ सतही अधिकार दिया गया है परन्तु अधिकार प्राप्त करने वाले द्वारा अधिकार का हस्तान्तरण कर दिया गया हैं तो नये खनन कर्ता द्वारा अनुच्छेद 2(ब) में वर्णित एक मुश्त राशि जमा कराने के बाद ही सतही अधिकार देने पर विचार किया जा सकता हैं । इन व्यक्तियों को भी उपरोक्तानुसार सालाना किराया जमा कराना होगा ।

5. जिन मामलों में सतही अधिकार तो नहीं दिया गया है परन्तु खनिज विभाग ने खनन पट्‌टा जारी कर दिया गया हैं खनन प्रक्रिया जारी करने की तिथी से उपरोक्तानुसार एक मुश्त राशि तथा सालाना किराया वसूल किया जायेगा ।

6. जिन मामलों में आवेदन पत्र 1.12.1998 से पूर्व में ही उपलब्ध हैं उनमें उनको नये खनन पट्‌टे जारी करने हेतु अनुच्छेद 2(ब) के अनुसार एक मुश्त राशि एवं सालाना किराया जमा कराना होगा ।

7. सतही अधिकार तब तक दिया जायेगा जब तक खान पट्‌टा निरस्त नहीं किया जाता है अथवा स्वतः ही समाप्त नहीं हो जाता हैं। खनन पट्‌टा के साथ–साथ सतही अधिकार भी समाप्त माना जायेगा ।

8. देवस्थान विभाग को अधिकार होगा कि हर तीन साल के अन्तराल पर सालाना किराये में संशोधन करें ।

9. यदि कोई भी व्यक्ति सतही अधिकार प्राप्त करने के प्श्चात सालाना किराये व एक मुश्त राशि जमा नहीं कराता है तो सतही अधिकार समाप्त करने का अधिकार देवस्थान विभाग को होगा । ऐसे मामलों में विभाग तीस दिन को नोटिस देते हुए उसे भूखण्ड से बेदखल कर सकेगा तथा इस भूखण्ड को पुनः आवंटन कर सकेगा ।

10. जिन प्रकरणों में न तो विधिवत सतही अधिकार दिया गया है और न ही खनिज विभाग से खनन पट्टा जारी किया गया हैं,किन्तु कब्जा 1 दिसम्बर, 1998 से पूर्व निरन्तर चला आ रहा है , उन प्रकरणें को अनुच्छेद 2(ब) में प्रस्तावित एक मुश्त राशि की दुगनी राशि व संपूर्ण वार्षिक किराया राशि जमा कराने पर नियमित किया जा सकेगा ।

चूंकि यह संपूर्ण प्रक्रिया आत्म निर्भर मंदिरों से संबंधित है इससे प्राप्त होने वाली आय निधि फण्ड में जमा की जावेगी ।

ह0/–

(प्रदीप देव)

राजस्व सचिव

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान,जयपुर ।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय देवस्थान मंत्रीजी, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, राजस्व सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
4. निजी सचिव, खान विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
5. निजी सचिव, वित्त सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
6. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर ।
7. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञाान विभाग, उदयपुर ।
8. जिला कलेक्टर, उदयपुर ।
9. मंत्रीमण्डल सचिवालय को उनकी आज्ञा संख्या डी.18/मंमं/2000 दिनांक 9.3.2000 के संदर्भ में ।
10. रक्षित पत्रावली ।

ह0/–

शासन उप सचिव